राजस्थान के 12 लोकसभा क्षेत्रों में 5.84 प्रतिशत गिरावट के साथ मात्र 57.87 फीसदी मतदान

जबकि इन्हीं क्षेत्रों वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 63.71 फीसदी वोटिंग हुई थी

लोकसभा क्षेत्र	वर्ष 2024	वर्ष 2019
श्रीगंगानगर	65.64 %	74.39 %
बीकानेर	53.96 %	59.24 %
चूरू	62.98 %	65.65 %
झुंझुनूं	51.62 %	61.78 %
सीकर	57.28 %	64.76 %
जयपुर ग्रामीण	56.58 %	65.00 %
जयपुर शहर	62.87 %	68.11 %
अलवर	59.79 %	66.82 %
भरतपुर	52.69 %	58.81 %
करौली-धौलपुर	49.29 %	55.06 %
दौसा	55.21 %	61.20 %
नागौर	56.89 %	62.15 %

- श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ
- निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के 12680 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग से निगरानी रखी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में राजस्थान के 12 निर्वाचन क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 57.87 फीसदी मतदान हुआ। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा और नागौर में हुए इन लोकसभा चुनावों में ई.वी.एम. के जरिए 57.26 फीसदी वोटिंग हुई है, जबकि शेष 0.61 प्रतिशत मतदान पोस्टल बैलेट के जरिए हुआ।

अगर इन्हीं 12 लोकसभा क्षेत्रों में हुए मतदान की गत वर्ष 2019 के चुनाव से तुलना करें तो इस बार करीब 5.84 फीसदी कम वोटिंग हुई है। क्योंकि वर्ष 2019 में इन्हीं 12 क्षेत्रों में कुल 63.71 फीसदी मतदान हुआ था।

निर्वाचन विभाग की तमाम कोशिशों और पुलिस सुरक्षा के बीच शुक्रवार को 23 हजार 370 मतदान केन्द्रों पर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ। हालांकि कुछेक जगह उपद्रव की छिटपुट घटनाएं भी हुई है। नव विवाहित जोड़ों, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, आदिवासियों, वृद्धों और युवाओं समेत सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। नव मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर वोट किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इन 12 लोकसभा क्षेत्रों में 57.87 प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसमें ई.वी.एम. के जरिए 57.26 और पोस्टल बैलेट से 0.61 वोटिंग दर्ज की गई है। फॉर्म 17ए की जांच के बाद 20 अप्रैल तक ही अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ें प्राप्त हो सकेंगे। शाम 6 बजे तक भी कई स्थानों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी थीं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदाता बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे। दिनभर मतदान केंद्रों पर हंसते-मुस्कराते, उत्साह से लबरेज मतदाताओं का तांता लगा रहा।

गुप्ता ने बताया कि इन क्षेत्रों के 12680 मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेब कास्टिंग करवाई गई। रिटर्निंग अधिकारी, जिला एवं राज्य स्तर पर और भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर वेब कास्टिंग की मॉनटरिंग की गई। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय पुलिस बल और माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए।

सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गईं। साथ ही, मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केन्द्र पर वॉलन्टियर्स तैनात किए गए।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर में सी-स्कीम स्थित सरदार पटेल मार्ग पर रेजीडेंसी स्कूल में अपना वोट डाला।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को प्रात: लोकसभा आम चुनाव 2024 के प्रथम चरण के तहत हो रहे मतदान के लिए सिद्धार्थ नगर के नवोदय महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मतदान केन्द्र पहुंचे। उन्होंने मतदान केन्द्र पर सपरिवार मतदान किया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने परकोटे में गणगौरी बाजार में जनाना ड्योढी स्थित एक स्कूल में मतदान किया।

राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना मतदान किया। राज्यपाल मतदान के लिए प्रात: 9.30 बजे सी स्कीम, सरदार पटेल मार्ग स्थित महात्मा गांधी राजकीय आवासीय विद्यालय मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां अपना मतदान किया।

श्री काँची प्रतिवादी भयंकर मठ के गादी स्वामीजी का गलतापीठ में अभिनंदन

जयपुर, (का.सं.)। उत्तर भारत की प्रमुख श्री वैष्णव पीठ उत्तर तोदाद्रि मठ श्री गलता जी में वेदान्ताचार्य जगद्गुरू अनन्त श्री विभूषित श्री काँची प्रतिवादी भंयकर मठ गादी स्वामी श्रीनिवासाचार्य महाराज एवं बालक स्वामी अनंताचार्य का श्री गलता पीठ में आगमन हुआ।

इस पावन अवसर पर गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य एवं युवाचार्य राघवेन्द्र ने गादी स्वामी एवं बालक स्वामी की नारियल से कपूर आरती की व शठारी दी। स्वामी का कारी, शंख, छत्र आदि से भव्य स्वागत किया गया।

इसके पश्चात गादी स्वामी जी एवं बालक स्वामी ने गलता पीठ में विराजमान विग्रहों के दर्शन किए। गलता पीठ के युवाचार्य स्वामी राघवेन्द्र द्वारा श्री गादी स्वामी के पाद-पूजन के पश्चात स्वामी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद, अक्षत, फल प्रसाद आदि दिए।

गलतापीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज ने गादी स्वामी एवं बालक स्वामी का तथा स्वामी जी के साथ पधारे संतों व परिकरों का भी बहुमान किया।

इस अवसर पर श्याम भूतड़ा, सुरेश त्रिवेदी, श्रीगोपाल मोदानी, पंकज जोशी, गिरिराज शर्मा, रतन मीणा, वसुंधरा, हेमन्त, अंशु गुप्ता सहित श्री वैष्णव जन एवं नगर के अनेकों विशिष्टजनों ने स्वामी का व्यक्तिश: आशीर्वाद प्राप्त किया।

मैकेनिक पर एक लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने मोटरसाइकिल इंजन में घटिया पार्ट्स लगाने व रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष करार दिया है। इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यादव होंडा केयर, कालवाड रोड के शिव कुमार यादव पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाया है। आयोग ने इंजन की मरम्मत के पेटे वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मन्ना लाल सैनी पुत्र गुल्ला राम सैनी निवासी 411, पादयाली की ढाणी, जाजोलाई की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर का पुत्र नैलेश कुमार सैनी पिछले कुछ समय से मेरे मुवक्किल के कहे में नही है और वह अपनी मर्जी मुताबिक अपनी जिन्दगी बसर कर रहा है तथा मेरे मुवक्किल का पुत्र व उसकी पत्नी मेरे मुवक्किल व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बदसलूकी व झगड़ा करते हैं जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने उक्त पुत्र व उसकी पत्नी को अपनी समस्त चल अचल सम्पति से एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है जो कोई व्यक्ति नैलेश कुमार सैनी से किसी भी तरह का संव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा कृपया सूचित रहे।

भवदीय
(शमीम कुरैशी) एडवोकेट, मो. नं. 9829598401

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अगिंगाष्या जुबेदा पत्नि इब्राहिम निवासी मकान नं. 7358 अब्दुल हमीद नगर, जयती मार्केट के पीछे, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर द्वारा अपने स्वामित्वशुदा आवासीय प्लाट नं. बी-406 व बी-407, संजय नगर, कच्ची बस्ती, मट्ठा बस्ती योजना, शास्त्री नगर, जयपुर में स्थित है का वसीयतनामा अपने पुत्र रमजान कुरेशी पुत्र इब्राहिम कुरेशी के नाम दिनांक 27.12.2019 को उप पंजीयक जयपुर (पंचम) के यहां निष्पादित करवाया था को अपनी स्वेच्छा से व पूर्ण होशोहवास में निरस्त कर रही है तथा मेरी अभिगाष्या की मृत्यु पश्चात् इस वसीयतनामा से कोई हक अधिकार उक्त वर्णित प्लाटों के मेरी अभिगाष्या के पुत्र रमजान कुरेशी को प्राप्त नहीं होंगे। सूचित रहे।

G.S. SHARMA (ADVOCATE)
HIGH COURT, JAIPUR
M.- 9928389331

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची
संख्यांक 4
न्यायालय पारिवारिक न्यायालय, क्रम-2, जयपुर जिला जयपुर
अजय दीप गर्ग विरूद्ध श्रीमती अनुश्री गर्ग
वाद/प्रार्थना पत्र 13 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र संख्या 70/2022

श्रीमती अनुश्री गर्ग पत्नी अजय दीप गर्ग पुत्री श्री कैलाश चन्द महर्षि
पता-प्लाट नम्बर 11, रानी कॉलोनी, नेताजी की चक्की के सामने, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर (राज.)

उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 20 माह 6 सन् 2024 को 8 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता.16 माह 4 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

आज्ञा से-मुन्सरिम
पारिवारिक न्यायालय, क्रम-2
जयपुर (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

क्रमांक-419 दिनांक-06/03/2024

आवश्यक सूचना

मूलतः फ्लेट संख्या 8/41 SF अरावली विहार योजना, भिवाडी श्रीमती सीमा यादव एवं श्री अशोक चन्द यादव को संयुक्त नाम से आवंटन पत्रांक 1486 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा ई-सबमिशन (बुधवार नीलामी) योजना में आंवटित किया गया था। श्रीमती सीमा यादव की मृत्यु दिनांक 19.11.2023 को हो चुकी है। श्री अशोक चन्द यादव ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्रीमती सीमा यादव की मृत्यु का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य वांछित प्रपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि इनकी पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2023 को हो जाने के कारण उपरोक्त फ्लेट संख्या 8/41 SF अरावली विहार, भिवाडी का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण उनके नाम किया जाये।

अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त फ्लेट संख्या 8/41 SF अरावली विहार, भिवाडी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियों, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री अशोक चन्द यादव पुत्र श्री अजयपाल सिंह के पक्ष में उपरोक्त फ्लेट संख्या 8/41 SF अरावली विहार, भिवाडी जिला अलवर का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

आवासीय अभियन्ता,
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाडी

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पार्थ कुमार पुत्र स्व. श्री नवनीत कुमार से बदलकर अपना नाम पार्थ कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री नवनीत कुमार सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे पार्थ कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री नवनीत कुमार सिंह के नाम से जाना जावे। पता- 10/285- 286, सेक्टर-10, मालवीय नगर जयपुर

I have changed my name Vijaya Singh to Vijay Singh for all purpose. R/o Rotwada, Mandor Jaipur Rajasthan- 303009

I army no 2871115L Ex Hav Ranveer singh R/O plot no 105 Salasar vatika 4 niwaru road jhotwara Jaipur that have changed my son name From BHAWANI SING(DOB 14/1/1979) as To BHAWANI SINGH SHEKHAWAT (DOB 14/1/1980) vide affidavit dated 8 apr 2024 before district notary Jaipur

I army no 2871913Y Ex Hav kishan singh rajput S/O sh Ajit Singh R/O plot no 55 jai bhawani colony khatipura jaipur that have changed my wife name From OM KAUR is wrong entered in service record as To OM KANWAR vide affidavit dated 15 apr 2024 before district notary Jaipur

I army no 2988336H Ex Hav jaipal singh S/O late prabhu singh R/O plot no 24 Ranjeet nagar khatipura jaipur that have changed my daughter name from PRAMIL is wrong entered in service record as To PRAMIL KANWAR SHEKHAWAT (DOB 14/4/1992) vide affidavit dated 18 Apr 2024 before district notary Jaipur

माननीय पीठासीन सदस्य, डॉ. इंदर जीत सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली
पुनरीक्षण याचिका सं. 275 OF 2020

विशाल माथुर .... याचिकाकर्ता
डॉ के. राम .... उत्तरदाता

ध्यान दें कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 275/2020 अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। यह कि 15.03.2024 जब उपर्युक्त मामला माननीय डॉ इंदरजीत सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तब माननीय पीठासीन सदस्य ने आपको पेपर प्रकाशन के माध्यम से नोटिस देने का आदेश दिया।

दिनांक 12.07.2024 को प्रात: 10: 30 बजे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित हों। ऐसा न होने पर पीठासीन सदस्य, माननीय डॉ इंद्रजीत सिंह द्वारा मामले का निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

Sd-
सुमित्रा चौधरी
याचिकाकर्ता के लिए वकील

विनम्र श्रद्धांजलि

तैतीसवीं पुण्यतिथि 20 अप्रैल, 2024 सातवीं पुण्यतिथि

स्व. श्री जम्बू कुमार जैन स्व. श्री निर्मल कुमार जैन

परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी।
परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी।
आपकी संघर्षमयी छवि, हमारी प्रेरणा का है आधार।

श्रद्धावनत
समस्त इन्द्रलाल शास्त्री परिवार

पिंकसिटी एडवरटाईजिंग कं. प्रा. लि.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.02.2023 को एक मांग पत्र कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. श्रीराम मेडीकल एण्ड प्रोवीजन स्टोर प्रो.राजेन्द्र कुमार शर्मा, 2. अजय कुमार शर्मा, 3. ललिता देवी शर्मा, 4. राजेन्द्र कुमार शर्मा को दिया गया था, जिसमें 23.02.2023 को देय, मांग पत्र में उल्लेखित राशि 1,03,64,138.74/- (रुपये एक करोड तीन लाख चौंसठ हजार एक सौ अडतीस और पैसा चौहत्तर मात्र) का भुगतान नोटिस प्राप्ती की तिथी से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज अप्रेल 2024 के 12वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन रुपये 1,03,64,138.74/- (रुपये एक करोड तीन लाख चौंसठ हजार एक सौ अडतीस और पैसा चौहत्तर मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

आईटम- 1. प्लाट नं.214, क्षेत्रफल 142 वर्ग गज (119.14 वर्ग मीटर), स्कीम नं.15-ए, शिव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें हैं- पूर्व-प्लाट नं.221, पश्चिम-आम रास्ता 30 फिट चौंडा, उत्तर-प्लाट नं.214-ए, दक्षिण-प्लाट नं.215

आईटम- 2. प्लाट नं.214-ए, क्षेत्रफल 142.5 वर्ग गज (119.14 वर्ग मीटर),स्कीम नं.15-ए, शिव नगर, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें हैं- पूर्व-प्लाट नं.221, पश्चिम-आम रास्ता 30 फिट चौंडा, उत्तर-प्लाट नं.213, दक्षिण-प्लाट नं.214

दिनांक- 12 अप्रेल 2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान- जयपुर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
ऋण खाता संख्या- 32753298 एवं 27235382 (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित)